न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/23/20	28–12–202	10–08–2021

1. मनीराम उर्फ श्योराम पुत्र अमीचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम खिजूरीबास तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तिजाराजा तहसील तिजारा जिला अलवर।
2. रोहिताश पुत्र अमीचन्द दत्तक पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम खिजूरीबास तहसील तिजारा जिला अलवर। **असलरेस्पा0**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 17–06–1981 बाबत इंतकाल संख्या 152 ग्राम खिजूरीबास तहसील तिजारा जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री दिनेश यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री हवासिंह यादव –वकील रेस्पो0–2

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 17–06–1981 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 152 वाके ग्राम खिजूरीबास तहसील तिजारा कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेंश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि तहत अदालत द्वारा विवादित इंतकाल अपीलान्ट के पीछे से बिना अपीलान्ट को तलब किये एवं बिना सुनवाई का अवसर देते हुए रेस्पा0 संख्या–2 के नाम स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 24–11–2020 को हुई जब अपीलान्ट इंतकालाधीन आराजी की बाबत क्रेडिट कार्ड बनवान हेतु पटवारी हल्का के पास गया। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी के 1/2 भाग को खातेदार प्रभाती पुत्र मुखराम था जो अविवाहित बिला औरत फोत हुआ जिसने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की अपीलान्ट के नाम दिनांक 19–10–1970 को वसीयत रजिस्टर्ड कराया थी, किन्तु रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये राजस्व कैम्प खिजूरीबास में रैस्पा0 संख्या 2 के नाम स्वीकार कर दिया। जबकि रैस्पा0 संख्या 2 का विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी से कभी कोई सम्बन्ध वो वास्ता किसी प्रकार का नही है, और फर्जी व नुमायशी गोदनामा तहरीर व तकमील होने के पश्चात कभी भी प्रभाती की कोई टहल सेवा चाकरी नहीं की, अपीलान्ट के माता पितोह टहल सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपीलान्ट के नाम वसीयत तहरीर व तकमील की गई है तथा अपीलान्ट भी स्व0 प्रभाती के पास में रही रहता था। तहत अदालत को विवादित इंतकाल की कार्यवाही करने से पूर्व कानूनन अपीलान्ट को सूचित नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया। अपीलान्ट विवादित इंतकालाधीन आराजी पर वसीयत प्रभाव से के आने के पश्चात् से अर्थात प्रभाती के स्वर्गवास के बाद से बतोर वसीयती काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। रैस्पा0 सं0 2 को सरोकार नहीं है और ना ही रहा है। तहत अदालत ने वसीतयत को अवलोकन नहीं किया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही अपीलान्ट को तलब किया गया। विवादित इंतकाल की कार्यवाही रेस्पा0 असल से साजबाज होकर नाजायज हितलाभ हेतु नुकसान पहुचानें हुऐं विधि विरूद्ध निर्णय पारित रेस्पा0 के नाम विवादित इंतकाल स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24–11–2020 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील

जिला कलेक्टर, अलवर

जानकारी दिनांक 24–11–2020 तक समय प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने जवाब प्रार्थना पत्र की बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते निवेदन किया कि अपीलान्ट अपने पिता के समय से व उनकी मृत्यु के बाद से मृतक प्रभारी की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा आज भी उसी का कब्जा है। अपीलान्ट व उसके पिता की सेवाटहल से प्रसन्न होकर ही मृतक प्रभाती ने अपनी इच्छा से वसीयतनाम अपीलान्ट के हक में किया था। जो वसीयत बिलकुल सही है। मृतक प्रभाती की आराजी जो मेरे नाम दर्ज है वह गलत दर्ज है–भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट जरिये वसीयत मृतक प्रभाती की आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार है, इसलिए उसी का नाम दर्ज होने योग्य है। तहत अदालत के अपीलीय आदेश द्वारा त्रुटि पूर्ण इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया है जो निरस्त किया जाना न्याय संगत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 17–06–1981 के विरूद्ध दिनांक 24–12–2020 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 40 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी के 1/2 भाग को खातेदार प्रभाती पुत्र मुखराम था जो अविवाहित बिला औरत फोत हुआ जिसने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की अपीलान्ट के नाम दिनांक 19–10–1970 को वसीयत रजिस्टर्ड कराया थी, किन्तु तहत अदालत द्वारा बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये राजस्व कैम्प खिजूरीबास में रैस्पा0 संख्या 2 के नाम स्वीकार कर दिया। तहत अदालत ने विवादित इंतकाल स्वीकार करते समय वसीयत की सही जांच नहीं की और ना ही पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया, रेस्पा0 संख्या 2 ने अपने जबाव में भी माना है कि अपीलान्ट अपने पिता के समय से व उनकी मृत्यु के बाद से मृतक प्रभारी की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा आज भी उसी का कब्जा है। अपीलान्ट व उसके पिता की सेवाटहल से प्रसन्न होकर ही मृतक प्रभाती ने अपनी इच्छा से वसीयतनाम अपीलान्ट के हक में किया था। जो वसीयत बिलकुल सही है। मृतक प्रभाती की आराजी जो मेरे नाम दर्ज है वह गलत दर्ज है–भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट जरिये वसीयत मृतक प्रभाती की आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार है, इसलिए उसी का नाम दर्ज होने योग्य है। वसीयत की जांच किये बिना एवं पक्षकारान की सुनवाई के बिना ही तहत अदालत द्वारा अपीलीय इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर लिया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमान्ड किये जाने योग्य समझतें है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीला अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार तिजारा का आदेश दिनांक 17–06–1981 बाबत इंतकाल संख्या 152 ग्राम खिजूरीबास तहसील तिजारा को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार तिजारा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक प्रभाती की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19–10–1970 की जांच कर अपीलान्ट व रैस्पा0 सं0 2 को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति तहत अदालत को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10–08–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर